

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. प्रहलादराम पुत्र मांगूराम जाति अहीर निवासी मंगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 490/2025

जीसीएमएस नं० 2025/902

आदेश

दिनांक 27.8.2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मंगलपुरा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 151 में वादी का गलत दर्ज नाम "प्रहलादराम पि. मंगूराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "प्रहलादराम पि. मांगूराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)

## डिकी मुकदमा इत्दादाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. प्रहलादराम पुत्र मांगूराम जाति अहीर निवासी मंगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मंगलपुरा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 151 में वादी का गलत दर्ज नाम "प्रहलादराम पि. मंगूराम" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "प्रहलादराम पि. मांगूराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... माह ..... सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुहर

मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकें का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।